न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारी–दीनानाथ बब्बल (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्याः 22/2025 जीसीएमएस प्र0स0 – 2024/126 दायर दिनांक 09.07.2025

सरकार जरिये खाद्य सुरक्षा अधिकारी कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी श्रीगंगानगर
——आवेदक

बनाम

पूनमचन्द पिलानियां पुत्र श्री कोजाराम (विक्रेता व मालिक), मै0 बीकानेर पनीर हाऊस, कोर्ट रोड, रानी लक्ष्मी बाई चौक, सूरतगढ़ निवासी– वार्ड न. 17 कोर्ट रोड़ रानी लक्ष्मी बाई चौक सूरतगढ़
——अभियुक्त

परिवाद अन्तर्गत खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 26 (2) (ii)/51

:: निर्णय :: दिनांकः–10.04.2026

1. यह परिवाद आवेदक श्री हंसराज गोदारा खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एंव स्वास्थ्य अधिकारी श्रीगंगानगर द्वारा खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 26(2)(ii)/51 के अन्तर्गत पेश किया है।
2. परिवादी खाद्य सुरक्षा अधिकारी का गजट नोटिफिकेशन कंमांक संख्या प. 5(01) चिस्वा/ग्रुप–3/ई–5095/ 2024 दिनांक 28.06.2024 द्वारा अधिसूचित किया है व परिवादी का पदस्थापन एवं कार्य क्षेत्र का आवंटन आयुक्त (खाद्य सुरक्षा) निदेशालय, राजस्थान, जयपुर के आदेश क्रमांक आयुक्ता/संस्था/2024/1211 दिनांक 08.07.2024 द्वारा किया गया है और संशोधित आदेश पत्र क्रमांक आयुक्ता/खासुऔनि/संस्था/2024/122 दिनांक 09.07.2024 द्वारा किया गया है।
6. आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिनांक 20.04.2025 को समय 12:40 पी. एम बजे मैसर्स–बीकानेर पनीर हाउस, कोर्ट रोड, रानी लक्ष्मी बाई चौक, सूरतगढ़, पर पहुँचा। मोके पर विक्रेता श्री पूनमचन्द पिलानीया पुत्र श्री कोजाराम (विक्रेता व मालिक) को अपना परिचय दे कर संस्थान का निरिक्षण किया संस्थान पर रखें खाद्य पदार्थ पनीर (खुला) लगभग 05 किलोग्राम के बारे में जानकारी चाही। इस पर विक्रेता ने स्वंय को संस्थान का मालिक बताया व संस्थान में रखे लगभग 05 किलोग्राम खाद्य पदार्थ पनीर (खुला) को आमजन में बेचान वास्ते बताया। जिनमें मिलावट का शक होने पर मालिक से पनीर (खुला) नमूना जांच वास्ते लेने की इच्छा विक्रेता को फॉर्म न. 5 ए भरकर देते हुए व्यक्त की। मौके पर ही विक्रेता को फॉर्म न. 5 ए भरकर दिया, जिस पर मालिक व गवाहन के व मेने हस्ताक्षर किये। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा संस्थान का निरीक्षण किया और आम जनता को विक्रय हेतु उपलब्ध रखें लगभग 05 किलोग्राम पनीर (खुला) में से 01 किलोग्राम मालिक से खरीद कर लिया। मालिक को मौके पर ही उक्त क्रयशुदा पनीर (खुला) का नगद भुगतान 300 रूपये किया तथा केशमीमो बनवाकर लिया। जिस पर मालिक तथा गवाहन के हस्ताक्षर है और मेरे भी हस्ताक्षर हैं। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने मौके पर फार्म सं0 5 ए की प्रतियां तैयार कर खाद्यकारोबारकर्ता एवं मालिक तथा गवाहान को पढ़कर सुनाकर एवं समझाकर हस्ताक्षर करने को कहा, जिसे श्री पूनमचन्द पिलानीया पुत्र श्री कोजाराम (विक्रेता व मालिक) एवं गवाहान ने भी पढ़कर समझाकर व सही मानकर हस्ताक्षर किये। स्वयं आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने भी हस्ताक्षर किये। फार्म से 5 ए की एक प्रति खाद्यकारोबारकर्ता एवं श्री पूनमचन्द पिलानीया पुत्र श्री कोजाराम (विक्रेता व मालिक) को देकर असल पर रसीद प्राप्त की। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने खरीदशुदा खाद्य पदार्थ पनीर (खुला) 01 किलोग्राम को बराबर भागों में बांटकर 4 साफ–सुथरे सूखे डिब्बों में ले कर प्रत्येक डिब्बे में परिरक्षक फॉर्मीलीन की 20–20 बूँदे डालकर ढक्कन को कसकर बंद किया और 4 डिब्बों पर लेबल तैयार कर टेप से चिपकाये और लेबलों पर डी.ओ. श्रीगंगानगर के कोड एवं क्रमांक के 2749 दर्ज किया प्रत्येक लेबल पर स्वयं ने हस्ताक्षर किये एवं खाद्य कारोबारकर्ता एवं विक्रेता तथा गवाहान के हस्ताक्षर कराये। चारों नमूना भागो को अलग–अलग खाकी कागज में [illegible] श्रीगंगानगर की हस्ताक्षर शुदा पेपर स्लिप न के–2749 नियमानुसार चारों नमूना भागो [illegible] ऊपर तक गोलाई में गोंद से चिपकाकर प्रत्येक नमूना भाग को धागे से बांधकर [illegible] किया। प्रत्येक नमूना भाग पर

Signature Not Verified
Digitally signed by Deenanath Babbal
Date: 2026.05.14 16:55:00 IST
Reason: SelfAttested

न्याय निर्णयन अधिकारी
एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
सूरतगढ़

Scanned with OKEN Scanner

खाद्यकारोबारकर्ता एवं विक्रेता के हस्ताक्षर नियमानुसार इस प्रकार करवाये कि पेपर स्लिप व रेपर दोनों पर आये। चारों नमूना भागों के पेपर पर गवाहान के हस्ताक्षर करवाकर स्वयं आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने भी हस्ताक्षर कर सील बन्द चारों नमूना भागों को अपने जाप्ते में लिया। मौके पर फर्द रिपोर्ट तैयार कर खाद्यकारोबरकर्ता एवं विकेता तथा गवाहान को पढ़कर, सुनाकर एवं समझाकर हस्ताक्षर करने को कहा जिसे श्री पूनमचन्द पिलानीया पुत्र श्री कोजाराम (विक्रेता व मालिक) एवं गवाहान ने भी पढ़कर, समझाकर सही मानकर हस्ताक्षर किये। स्वयं आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने भी हस्ताक्षर किये। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने कार्यालय पहुँच कर फार्म नं. 6 की छः प्रतियाँ तैयार की और प्रत्येक पर वह नमूना सील लगाई जिससे नमूना सील किया। एक नमूना भाग मय फार्म सं. 6 की प्रति के आउटर कवर में सीलबन्द कर सील मोहर कर अगले कार्य दिवस में खाद्य विश्लेषक बीकानेर को जमा कराकर रसीद प्राप्त की। दो फॉर्म सं. 6 की प्रति अलग से एक लिफाफे में बन्द कर चपड़ी से सील मोहर कर खाद्य विशलेषक बीकानेर को जमा कराकर फार्म सं. 6 की पुस्त पर रसीद प्राप्त की जो न्यायनिर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है। शेष दो सील बन्द नमूना भाग मय फार्म सं 6 की दो प्रतियों एंव चौथा भाग मय फार्म सं. 6 की एक प्रति के आउटर कवर में सील बन्द कर डीओ एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, श्रीगंगानगर को जमा कराकर रसीद प्राप्त की। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को डीओ एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, श्रीगंगानगर के पत्रांक क्रमांक/एफएसएसए/2025/630–32 दिनांक 11.05.2025 के अनुसार विक्रेता के द्वारा वास्ते नमूना जाँच विक्रय किया गया खाद्य पदार्थ पनीर (खुला) का नमूना जांच रिपोर्ट संख्या एल.एस. 451/एक्ट/2025/451 दिनांक 01.05.2025 को सब स्टैण्डर्ड–फूड होना पाया गया। जांच रिपोर्ट मय अग्रेषित पत्र मूल संलग्न न्याय निर्णयन आवेदन है व इसी पत्रांक द्वारा खाद्य कारोबारकर्ता श्री पूनमचन्द पिलानीया पुत्र श्री कोजाराम (विक्रेता व मालिक) को भी जांच रिपोर्ट की प्रति भिजवाई गई एवं जांच से असंतुष्ट होने की स्थिति में पुनः जांच कर आवेदन फार्म 8 में रिपार्ट प्राप्ति से 30 दिन में प्रस्तुत करने हेतु कहा गया। श्री पूनमचन्द पिलानीया पुत्र श्री कोजाराम (विक्रेता व मालिक) ने पुनः जांच करने का आवेदन प्रस्तुत नहीं किया। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने श्रीमान अभिहित अधिकारी गंगानगर को दिनांक 01.07.2025 के साथ मूल पत्रावली वास्ते अभियोजन स्वीकृति पेश किया। अभिहित अधिकारी (खाद्य सुरक्षा) एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, श्रीगंगानगर ने आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को उक्त केस में अभियोजन स्वीकृति पत्र क्रमांक/एफएसएसए/2025/868–69 दिनांक 07.07.2025. संस्थित करने हेतु अधिकृत किया है। श्री पूनमबन्द पिलानीया पुत्र श्री कोजाराम (विक्रेता व मालिक), मैसर्स–बीकानेर पनीर हाउस, कोर्ट रोड, रानी लक्ष्मी बाई चौक, सूरतगढ़, निवासी वार्ड नं–17, कोर्ट रोड, रानी लक्ष्मी बाई चौक, सूरतगढ़, श्रीगंगानगर ने खाद्य पदार्थ पनीर (खुला) Substandard Food का विक्रय करके एफएसएस एक्ट 2006 की धारा 20(2) (ii) का उल्लंघन किया है जिसका जुर्माना एफ. एस.एस.ए. 2006 की धारा–51 में निर्धारित है। निवेदन है कि उक्त प्रकरण में विक्रेता को नियमानुसार आर्थिक दण्ड से दण्डित किया जाये, ताकि जनहित में अमानक स्तर Substandard Food के खाद्य पदार्थो का विक्रय रोका जा सके।

3. इस्तगासा दर्ज रजिस्टर कर अभियुक्त को जरिये नोटिस तलब किया गया। अभियुक्त की ओर से अधिवक्ता श्री लेखराज देरासरी हाजिर आये। अभियुक्त के अधिवक्ता ने दौराने बहस जवाब में अंकित तथ्यों को दौहराते हुए कथन किया कि अभियुक्त द्वारा विक्रय किये गये पनीर में स्तर Substandard Food का LEVEL मुताबिक रिपोर्ट दिनांक 01.05.202 में अंकित Not less then 50% मे से 44.23% है। अर्थात Sub standard food का level 5.77% है जो कि परिवादी द्वारा वरवक्त नमूना लेते समय Formillin की बुंदो का सही इस्तेमाल ना करने के कारण हुआ है। जिसका दोषारोपण हम पर किया गया है जो सही नहीं है। अतः उपरोक्त तथ्यों को आधार पर परिवाद खारिज फरमाया जावे।

4. हमने पत्रावली का गहनता से अवलोकन किया। खाद्य विश्लेषक, जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला, बीकानेर की जांच रिपोर्ट संख्या/एलएस/451/एक्ट/2025/451 दिनांक 01.05.2025 में उक्त नमूना Sub standard food पाया गया है। उपभोक्ता द्वारा क्रयशुदा खाद्य पदार्थ की विक्रेता को निर्धारित कीमत का भुगतान कर यह अपेक्षा की जाती है कि विक्रेता भी उपभोक्ता की सुरक्षा एवं स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए मानक स्तर का खाद्य पदार्थ का विक्रय करेगा। परन्तु अभियुक्त द्वारा Sub Standard food का विक्रय कर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 26 (2)(ii) का उल्लंघन ही नही किया है अपितु उपभोक्ता एवं विक्रेता के मध्य स्थापित विश्वसनीयता व लोक स्वास्थ्य के साथ खिलवाड भी किया है। अतः प्रकरण में लोक स्वास्थ्य व उपभोक्ता सुरक्षा के दृष्टिकोण को न्यायहित–लोकहित में मद्धेनजर रखते हुए तथा खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 51 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अभियुक्त श्री पूनमचन्द पिलानीया पुत्र श्री कोजाराम (विक्रेता व मालिक), मै0 बीकानेर पनीर हाऊस, कोर्ट रोड, रानी लक्ष्मी बाई चौक, सूरतगढ़ निवासी– वार्ड न. 17 कोर्ट रोड़ रानी लक्ष्मी बाई चौक सूरतगढ़ को राशि 50,000 रूपये (पचास हजार रूपये) के आर्थिक दण्ड से दण्डित

Signature Not Verified
Digitally signed by Deenanath Babbal
Date: 2026.05.14 16:55:00 IST
Reason: SelfAttested

न्याय निर्णयन अधिकारी
एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
सूरतगढ़

Scanned with OKEN Scanner

किया जाता है। निर्णय की प्रति मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, श्रीगंगानगर, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी श्रीगंगानगर एवं अप्रार्थी को पालनार्थ/आगामी कार्यवाही हेतु भिजवायी जावे।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(दीनानाथ बब्बल)
न्याय निर्णयन अधिकारी
एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
सूरतगढ़

Signature Not Verified

Digitally signed by Deenanath Babbal
Date: 2026.05.14 16:55:00 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner